राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2016/00018
अपील संख्या 76/16 (225 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. रमेश पुत्र श्री राधेलाल जाति जाट निवासी ग्राम चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर ....अपीलांटान

बनाम

1. बुधवती पुत्री महर सिंह जाति भाटी निवासी हाल आबाद महरौली सी–57, संजय कॉलोनी भाटी माइन्स, नई दिल्ली –74

..................रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अंतर्गत धारा 225 आर.टी.ए विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.08.2016 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर वमुकदमें उनवानी रमेश बनाम बुधवती अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए पत्रावली संख्या 4/16

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री मोहन सिंह राना एड.
वकील रेस्पोडेन्ट श्री पूरन सिंह एड.

निर्णय दिनांक 23.07.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा 573/0.26, 574/0.13 किता 2 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम चक दौलतपुर तहसील भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

उभयपक्ष बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वे विवादित आराजी पर 2010 से काबिज है जिसे पहले सिवायचक एवं बाद में प्रत्यर्थी को आवंटित कर दिया है। प्रत्यर्थी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है लेकिन रिकार्ड की आड में विवादित आराजी को विक्रय करना चाहते हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विवादित आराजी पर काबिज एवं रिकार्डेड खातेदार है। अपीलार्थी अनावश्यक रूप से प्रत्यर्थी को मुकदमेबाजी में उलझाना चाहते है, अतः अपील खारिज की जावे।

बहस उभयपक्ष एवं दस्तावेजों से प्रकट है कि विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होकर प्रत्यर्थी को आवंटित हुई थी। इसी मामले में प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं माना है एवं बाद में प्रशासनिक आदेश से खातेदारी दी जा चुकी है। इस प्रकार विवादित आराजी पर उभयपक्ष के अधिकार अनिर्णित प्रतीत होते है। पक्षकारों के अधिकारों का फैसला मूल वाद में बाद साक्ष्य सबूत होगा। स्थगन के आधार पर अधिकारों का निर्णय उचित प्रकट नहीं होता है अतः अपील खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official